न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 27/019

तारीख रजू 6.3.2019

1 सरदारसिह
2 ओमप्रकाश } पिसरान सुखराम } समस्त जाति जाटव निवासी डोरावली तहसील टोडाभीम जिला करौली :–अपीलान्टस
3 विजयसिह

बनाम

1 हरनन्द } पिसरान अमोली } समस्त जाति जाटव निवासी डोरावली तहसील टोडाभीम जिला करौली
2 अमरसिह

3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली – रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 108 दिनांक 16.9.1960 नायव तहसीलदार टोडाभीम बाबत गत खसरा नम्बर 508 रकबा 4 बीधा 8 विस्व जिसके हाल खसरा नम्बर 157,165,166 ग्राम डोरावली तहसील टोडाभीम के संबंध मे

निर्णय

दिनांक 30.08.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है। कि अपीलान्ट की ओर से वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 108 दिनांक 16.09.1960 से नाखुस होकर बताया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 508 वाके ग्राम डोरावली का गलत तरिके से दर्ज किया गया है नामान्तकरण मे अमोली व सुखराम पुत्र पून्या के नाम हिस्सा 1/2 भूमि खातेदारी मे दर्ज थी लेकिन तस्दीक करते समय अमोली की बल्दियत पून्या सही लिखी गई थी जबकि सुखराम की बल्दियत पून्या गलत लिखी है यह दोनो खास भाई नही है सुखराम बल्दियत कुन्दन है , सुखराम की मृत्यु 15.8. 2016 को हो चुकी है जिसके कायम मुकाम अपीलान्ट है गलत बल्दियत होने के कारण सुखराम का विरास्त का नामान्तकरण नही खुल रहा है। अमोली की मृत्यु हो चुकी है उसके पक्षकार रेस्पोडेन्ट बनाये गये है अपीलान्ट का पिता गरीब व अनपढ होने पर इस गलत इन्द्राज का दुरूस्त कराने मे असफल रहा है इस गलती की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 6.2.2019 को के.सी.सी की फाईल बनबाने पर जमाबंदी की नकल लेने पर हुयी, जिसकी नियमानुसार नकल ली जा कर श्रीमान की सेवा मे अपील अपीलान्ट पृथक से दफा 5 का प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 108 निर्णय 16.9.1960 को खारिज फरमाते हुये सुखराम के पिता पून्या के स्थान पर सुखराम पुत्र कुन्दन दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं नामान्तकरण संख्या 108 दिनांक 16.9.1960 बाके ग्राम डोराबली तहसील टोडाभीम का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह नामान्तकरण धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भजनी किरोडी पिसरान गिल्ली हिस्सा 1/2 अमोली,सुखराम, पिसरान मूला हिस्सा 1/2 जाति चमार के नाम नायव तहसीलदार टोडाभीम ने नाम दर्ज होने पर तस्दीक किया गया है। जिसे तकरीबन 59 वर्ष व्यत्ति हो चुके है। इस नामान्तकरण तस्दीक होने के बाद राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को भू प्रवंध विभाग ने एकीकरण ,सैटलमैन्ट आदि होकर विभिन्न इन्द्राज समय–समय पर हो गये है तथा खातेदार द्वारा इस रकवे का समय–समय पर लगान भी जमा कराया गया है जिसकी खातेदार को जानकारी रही है भू प्रबन्धक विभाग द्वारा भी समय पर सूचना दी गई है किन्तु खातेदार द्वारा इसकी दुरूस्ती नही कराई गई है। जिससे विदित हो रहा है कि खातेदार /अपीलान्ट को जानकारी होने के बाद भी यह नामान्तकरण अपील 59 साल बाद पेश की गई है जिसकी देरी को कोई ठोस कारण नही बताया गया है। जो अपने आप मे म्याद बहार है। नामान्तकरण अपील की म्याद नामान्तकरण दर्ज होने से 30 दिवस ही होती है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय मे बाद प्रस्तुत करने मे स्वतंत्र रहेगा। इस प्रकार से अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नही है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 108 निर्णय दिनांक 16.09. 1960 बाके ग्राम भंगो तहसील हिण्डौन की सारहीन,तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाति है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति0 जिला ~~कलक्टर~~
करौली